प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 24 मई, 2023

विषय:- जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु वित्तीच वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-113-14/स0क0/ए0टी0एस0-सेल/बजट स्वीकृति/अनु0सं0-83, दिनांक 21.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023 /बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनाँक 17-03-2023, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अन्तर्गत **प्राविधानित धनराशि रू0-24994.78 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-24994.78 लाख (रू0-दो अरब उन्चास करोड़ चौरान्वे लाख अठहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2023-24 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023 दिनाँक 17-03-2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2225017891200 (राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	01 वेतन	14,39,25,000 (रुपये चौदह करोड़ उनतालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	02 मजदूरी	4,35,00,000 (रुपये चार करोड़ पैंतीस लाख मात्र)
3	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	03 मंहगाई भत्ता	6,47,66,000 (रुपये छह करोड़ सैंतालीस लाख छियासठ हजार मात्र)
4	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	04 यात्रा व्यय	4,29,000 (रुपये चार लाख उन्तीस हजार मात्र)
5	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,73,000 (रुपये एक लाख तिहत्तर हजार मात्र)
6	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	08 कार्यालय व्यय	94,00,000 (रुपये चौरानवे लाख मात्र)
9	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	09 विद्युत देय	7,38,00,000 (रुपये सात करोड़ अड़तीस लाख मात्र)
10	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	10 जलकर / जल प्रभार	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
11	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13,20,000 (रुपये तेरह लाख बीस हजार मात्र)
12	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	99,00,000 (रुपये निन्यानवे लाख मात्र)
13	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
15	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति	19 [illegible]	10,00,000 [illegible]

17	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	29 अनुरक्षण	12,00,00,000 (रुपये बारह करोड़ मात्र)
18	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	39 औषधि तथा रसायन	1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)
19	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	41 भोजन व्यय	91,23,00,000 (रुपये इक्यानबे करोड़ तेईस लाख मात्र)
20	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	42 अन्य व्यय	3,50,00,000 (रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र)
21	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)
22	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,45,000 (रुपये एक लाख पैंतालीस हजार मात्र)
23	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
24	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
25	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	51 वर्दी व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
26	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	55 मकान किराया भत्ता	50,20,000 (रुपये पचास लाख बीस हजार मात्र)
27	083	2225017891200 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	66,00,00,000 (रुपये छियासठ करोड़ मात्र)
	कुल			**2,49,94,78,000 (रुपये दो अरब उनचास करोड़ चौरानवे लाख अठहत्तर हजार मात्र)**

महायोग	2,49,94,78,000 (रुपये दो अरब उनचास करोड़ चौरानवे लाख अठहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 24-05-2023 12:13:19
Reason: Approved

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

52/2023/1286/

File No.26-3099/74/2021- -3-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्यारण विभाग, उ0प्र0।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
10-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।